रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939
No. 2335] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

का.आ. 2669(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 658(अ) तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड सं (ii) में उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, तारीख 2 मार्च, 2016 को उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 4 मार्च, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया;

और, डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित है और वह 0.897 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, राष्ट्रीय उद्यान में प्रचुर वनस्पति और जीवजन्तु जीवाश्म है, इसमें चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के समूह 5 में वर्गीकृत है; वनस्पति जीवाश्म में जिमनस्पर्म, अरौकेरिया, पोडोकारपस, कटहल, पाम वृक्ष प्रजातियां और नीले हरे शैवाल सम्मिलित है; जीवजन्तु जीवाश्म में डायनासौर की हड्डी, अण्डे स्कैट, इचिनोडर्माटा, मोल्स्का, मछली और पौरीपेरा प्रजातियां सम्मिलित है यह डायनासौर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बाग में अभिलिखित भी है;

और राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा क्षेत्र में सभी जानवर जैसे सियार (*कैसिसेअरीस*), भारतीय लोमड़ी (*वुलपसबेन्लेन्जिस*), और चित्तीदार लकड़बग्घा (*हेयना हेयना*) का वास है यह डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई भी देते है;

और, डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान में डायनासौर के अंडे, हड्डियां और स्कैट के जीवाश्म अवशेष हैं और अन्य जीवजन्तु जीवाश्म में जैसे इचिनोडर्माटा, मोल्स्का, मछली और पौरीपेरा प्रजातियां और वनस्पति जीवाश्म में जिमनस्पर्म, अरौकेरिया, पोडोकारपस, कटहल, पाम वृक्ष प्रजातियां और नीले हरे शैवाल आदि हैं;

और, राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति और जीवजन्तु है जो कि इस क्षेत्र की विशेषता है और पशु प्रजातियों में जैसे सियार, लोमड़ी और चित्तीदार हिरण सम्मिलित हैं;

और, डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश में फैले डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 250 मीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**— (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान से 250 मीटर तक होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन 2.0125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान के भू-निर्देशांक और पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू उपयोग **उपाबंध I** के रुप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रुप में संलग्न है। ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना —(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए आंचलिक महायोजना राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों सिद्धांतों, यदि कोई हो, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्: —

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन पारिस्थितिक पर्यटन सहित;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना, अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों, क्षेत्रो के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और योजना को प्रस्तावित और विद्यमान भूमि उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्र द्वारा समर्थित किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 के सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित कार्यकलापों का अनुपालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित और संवर्धित करने का सुनिश्चय किया जाएगा।

(8) ऐसी अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: —

(1) **भू-उपयोग** —पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमियों का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है तथा क्रियाकलापों के लिए जैसे: —

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) पैरा 4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगीः

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगाः

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय** — सभी प्राकृतिक झरनों नदियों और चैनलों की वास और जैव विविधता पुनः स्थापन की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना आचंलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** — (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा, राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार तक, इसमें जो भी नजदीक हो, होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगे। तथापि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टो की स्थापना को पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा

तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा संबद्ध मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षा योजना उनकी संरक्षा योजना उनकी संरक्षा संरक्षण के लिए बनाई जायेगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.— पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबधों के अनुसरण में किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.— पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण(प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** .— पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट .**— ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क)पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुज्ञात की जा सकेगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**. —जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

IndiaCode

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुज्ञात की जा सकेगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.** — पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.** — पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.** — परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति से विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध नियमित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.** — लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए प्रयास, उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि, किए जांएगे ।

(16)**औद्योगिक ईकाइयां.** — (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के अनुज्ञात किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.** — पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्र इंगित करेगी जहां कोई संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(ख) विद्यमान पहाड़ी ढलानों और उच्च मृदा आच्छादन वाले ढलानों पर कोई संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(18) इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने में, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य अतिरिक्त उपाय यदि आवश्यक समझती है, विनिर्दिष्ट करेगी।

IndiaCode

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) और उसके किए गए संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप**	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि, आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नया उद्योग या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के अनुज्ञात किया जाएगा।
(3)	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(6)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	सिवाय स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

(7)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(8)	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(9)	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(10)	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(11)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, कोई वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होगा । परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी समीप हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परंतु, स्थानीय लोगों को जिसके अंतर्गत उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों भवन उपविधियों के अनुसार अनुज्ञात होगा, अर्थात्- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाऐं

		पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली जिस के अन्तर्गत गृह वास भी है; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप : (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योग जो प्रदूषण कारित नहीं करते विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से परे यह आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
(14)	गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरवरी, 2016 में जारी दिशा निर्देशों में उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार, केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न होने वाले कृषि आधारित उद्योग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
(15)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबद्ध केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
(16)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	प्रवासी चरवाहा।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)
(19)	बुनियादी ढांचे जिसके अन्तर्गत नागरिक सुख सुविधाऐं भी है।	लागू विधियों नियमों और विनियमों उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपाय किए जाएंगे।
(20)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपाय किए जाएंगे।
(21)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(23)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(24)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(25)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश करने से बचाया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
(26)	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(27)	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएंगे और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप मानीटर किए जाएंगे।
(28)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(31)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप :	
(32)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(36)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधनों का उपयोग ।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाए \|
(37)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(38)	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(39)	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(40)	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की पुनःस्थापन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(41)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए मानीटरी समिति का गठन पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए, करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i) प्रभागीय आयुक्त, इंदौर -अध्यक्ष ;

(ii) मुख्य वन संरक्षक, इंदौर -सदस्य ;

(iii) जिला कलक्टर, धार जिला -सदस्य ;

(iv) कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, धार -सदस्य ;

(v) कार्यपालक इंजीनियर, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, धार -सदस्य ;

(vi) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, धार -सदस्य ;

(vii) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(viii) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य ;

(ix) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन का, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, प्रत्येक मामलों में तीन वर्ष की अवधि के लिए, नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(x) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य में किसी विश्वविद्यालय के सुविख्यात संस्थान से पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(xi) प्रभागीय वन अधिकारी, धार – सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन.-

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केंन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, या संबद्ध पार्क वन-उप संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

IndiaCode

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश जो वह ठीक समझे दे सकेगा ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/183/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान के भौगोलिक निर्देशांक

दिशा	निर्देशांक	
	देशांतर	अक्षांश
उत्तर (ए)	पू – 74°46'12.70"	उ - 22°20'46.16"
पूर्व (बी)	पू – 74°47'36.70''	उ - 22°20'36.66"
दक्षिण (सी)	पू – 74°47'44.86"	उ - 22°20'10.25"
पश्चिम (डी)	पू – 74°46'00.05"	उ - 22°20'33.53"

डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भौगोलिक निर्देशांक

दिशा	निर्देशांक	
	देशांतर	अक्षांश
उत्तर (ए1)	पू – 74°46"11.39"	उ - 22°20'54.62"
पूर्व (बी1)	पू – 74°47'39.01"	उ - 22°20'44.49"

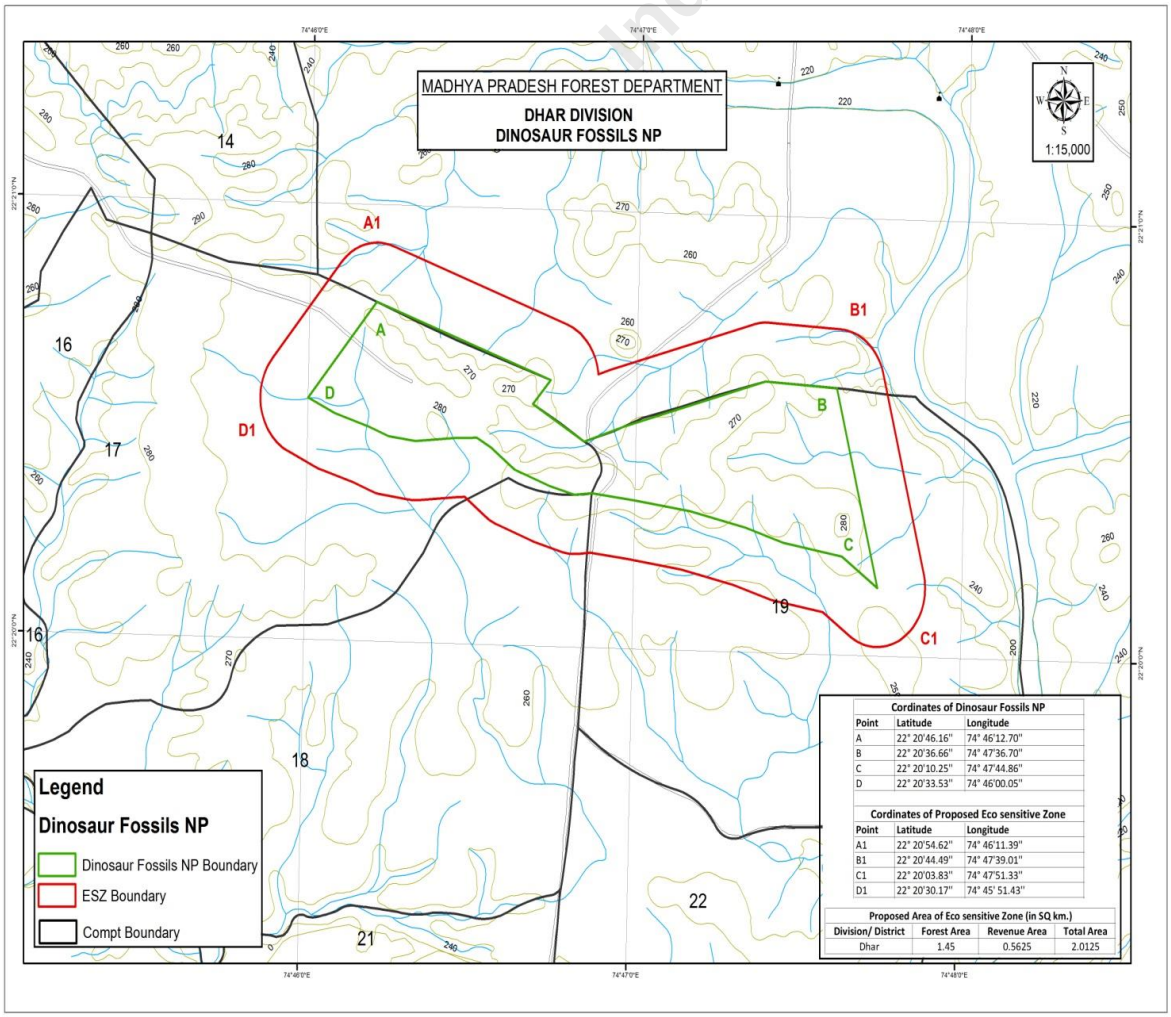
IndiaCode

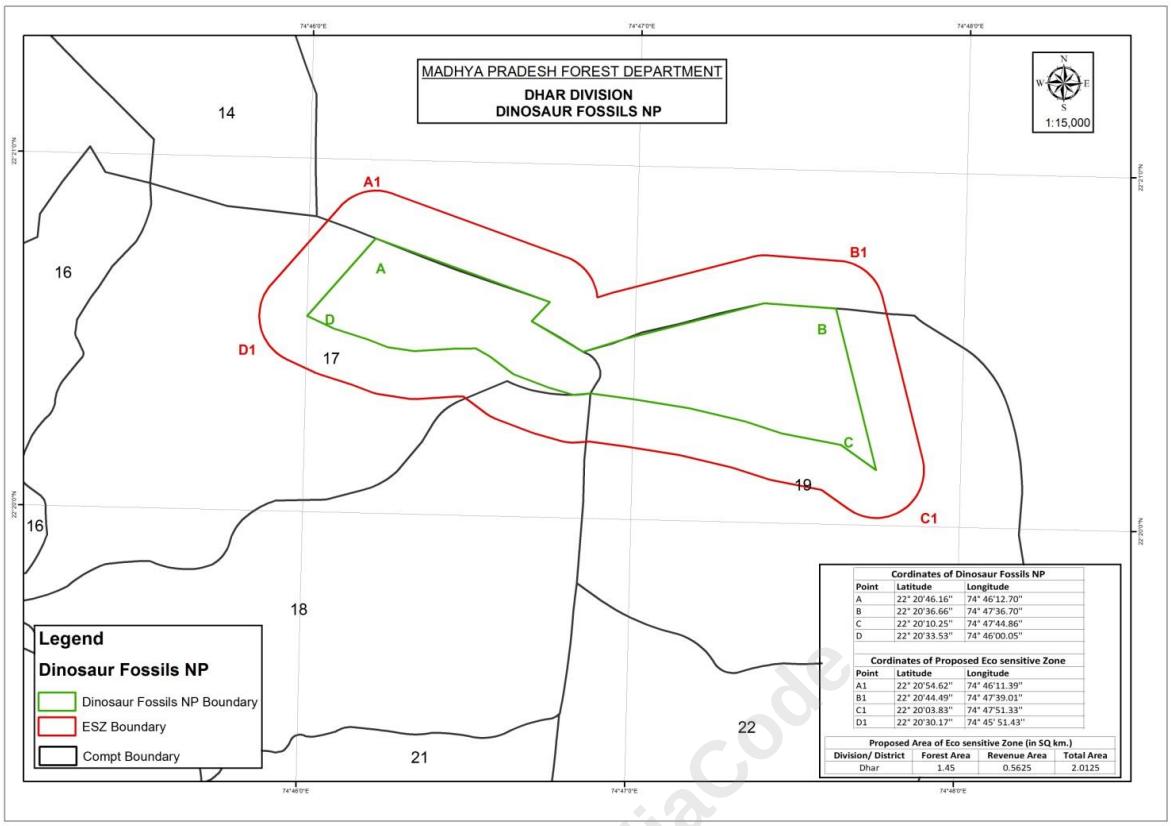
दक्षिण (सी1)	पू – 74°47'51.33"	उ – 22°20'03.83"
पश्चिम (डी1)	पू – 74°45'51.43"	उ - 22° 20'30.17"

डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन में भू उपयोग

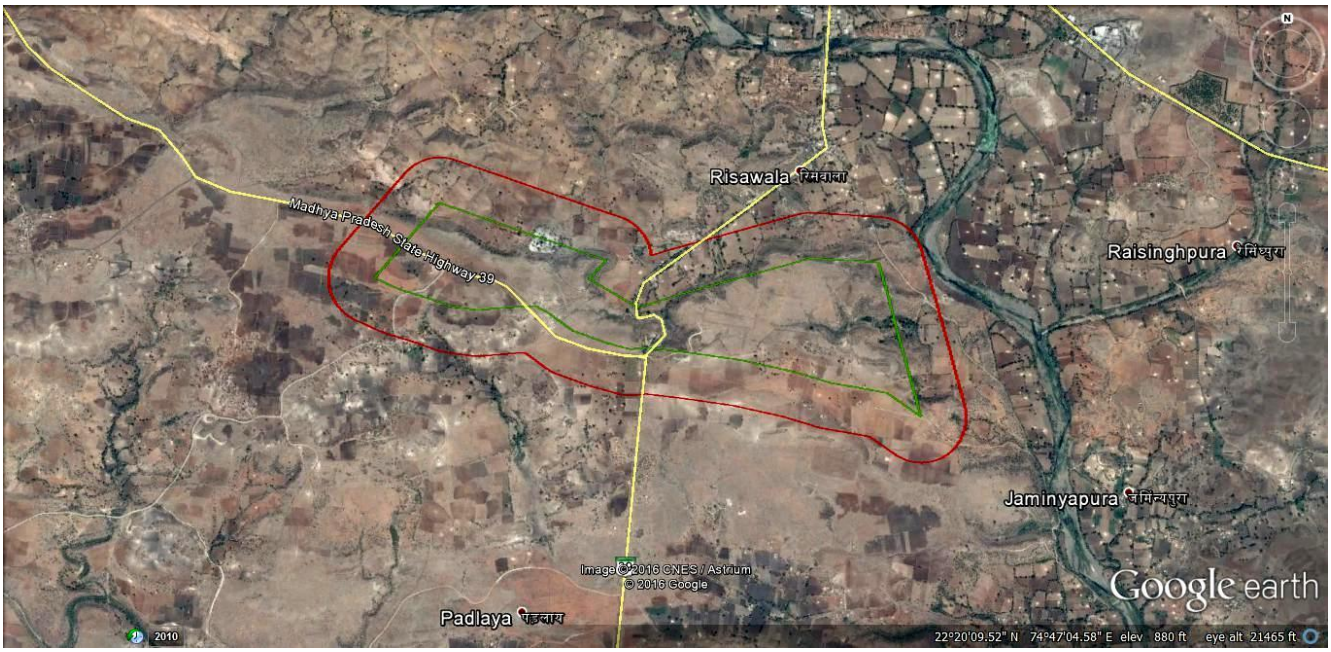
पारिस्थितिक संवेदी जोन की चौड़ाई	250 मीटर
पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र	2.0125 वर्ग किलोमीटर
पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्र में सम्मिलित आरक्षित वन	1.45 वर्ग किलोमीटर
पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्र में सम्मिलित संरक्षित वन	अनुपलब्ध
पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व	0.5625 वर्ग किलोमीटर
अंतर राज्य सीमा	अनुपलब्ध

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्रः




MADHYA PRADESH FOREST DEPARTMENT
DHAR DIVISION
DINOSAUR FOSSILS NP
1:15,000
A1
B1
A
B
C
D
D1
C1
14
16
17
18
19
21
22
Legend
Dinosaur Fossils NP
Dinosaur Fossils NP Boundary
ESZ Boundary
Compt Boundary
Cordinates of Dinosaur Fossils NP
Point | Latitude | Longitude
A | 22° 20'46.16" | 74° 46'12.70"
B | 22° 20'36.66" | 74° 47'36.70"
C | 22° 20'10.25" | 74° 47'44.86"
D | 22° 20'33.53" | 74° 46'00.05"
Cordinates of Proposed Eco sensitive Zone
Point | Latitude | Longitude
A1 | 22° 20'54.62" | 74° 46'11.39"
B1 | 22° 20'44.49" | 74° 47'39.01"
C1 | 22° 20'03.83" | 74° 47'51.33"
D1 | 22° 20'30.17" | 74° 45' 51.43"
Proposed Area of Eco sensitive Zone (in SQ km.)
Division/ District | Forest Area | Revenue Area | Total Area
Dhar | 1.45 | 0.5625 | 2.0125

IndiaCode


Risawala रिसावला
Madhya Pradesh State Highway 39
Raisinghpura रैसिंघपुरा
Jaminyapura जैमिन्यपुरा
Padlaya पडलाय
Image © 2016 CNES / Astrium
© 2016 Google
Google earth
2010
22°20'09.52" N 74°47'04.58" E elev 880 ft eye alt 21465 ft

उपाबंध-II

डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ भौगोलिक निर्देशांक

क्र. सं.	प्रभाग के नाम	ग्राम के नाम	जिला	देशांतर	अक्षांश
01.	धार	गंगाकुई (जमनियापुरा)	धार	पू – 74˚47’23.91”	उ- 22°20’20.93”
02.	धार	बयादीपुरा (पदलया)	धार	पू – 74˚46’26.39”	उ - 22°20’23.22”
03.	धार	रिसवाला	धार	पू – 74˚46’57.47”	उ - 22°20’36.16”
04.	धार	सीमेंट उद्योग	धार	पू – 74˚46’32.17”	उ - 22°20’39.20”

IndiaCode

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2017

S.O. 2669(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (ii), dated the 4th March, 2016, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 658(E), dated 2nd March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 4th March, 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Dinosaur National Park is located in Dhar District of Madhya Pradesh and is spread over an area of 0.897 square kilometres;

AND WHEREAS, the said National Park is rich in Flora and fauna Fossils, it has been classified in in group 5 of champion and Seth classification; the floral Fossils include Gymnosperm, Araucaria, Podocarpus, Jack fruit, Palm tree species, and Blue Green algae; the Faunal Fossils include Dinosaur Bones, Eggs, Scat, Echinodermata, Mollusca, fish and Porifera Species that have been recorded in the Dinosaur Fossils National Park Bagh; and the said National Park is inhabited by all the usual animals of the region, such as Jackal (*canisaureus*), Indian fox (*Vulpesbengalensis*), Striped hyaena (*Hyaenahyaena*) can also be seen in the Dinosaur National Park;

AND WHEREAS, the Dinosaur National Park has the fossil remains of Dinosaur eggs, bones and scat and also other faunal fossils such as Echinoderms, Molluscs, Fishes and Poriferans and floral fossils of Gymnosperms, *Aurocaria*, *Podocarpus*, Jack Fruit, Palm tree species and blue green algae;

AND WHEREAS, the National Park has flora and fauna which is characteristic to the region and include animal species such as Jackal, Fox and Striped Hyeana;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the Dinosaur National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to an extent of 250 meters from the boundary of Dinosaur National Park as the Dinosaur National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)The extent of Eco-Sensitive Zone is 250 meters from the boundary of Dinosaur National Park.
(2) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 2.0125 square kilometers and the co-ordinates of the Dinosaur National Park and Eco-sensitive Zone, map and landuse in the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.
(3) The list of villages within Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.
(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture and Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal and urban development;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
(8) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
(1) Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:
Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within 1 km from the boundary of the Dinosaur National Park or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the said National Park till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

(4) Natural heritage.— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.— Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.— Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.— Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and demolition waste management.— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.— The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-— Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and the efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial Units.— (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted: Provided that non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and

IndiaCode

		(v) Promoted activities listed in this Notification. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
19.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
21.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water and otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

27.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned authority.
28.	Solid waste management/bio-medical waste management.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
31.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
37.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee:— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:—

(i) Divisional Commissioner, Indore — Chairman;

(ii) Chief Conservator of Forests, Indore — Member ;

(iii) District Collector, Dhar district — Member;

(iv) Executive Engineer Public Work Department, Dhar — Member;

(v) Executive Engineer, Public Health Dept.Dhar — Member;

(vi) Chief Executive Officer of District Panchayat,Dhar — Member;

(vii) Representative of the Madhya Pradesh Pollution Control Board — Member;

(viii) Member, State Biodiversity Board — Member;

(ix) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years year in each case — Member;

(x) One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case	Member;
(xi) Divisional Forest Officer, Dhar	Member Secretary.

6. Terms of reference.—

(1) The tenure of the Monitoring Committee the shall be for a period of three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/183/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

Annexure-I

Geographical Coordinates of the Dinosaur National Park

Direction	Co-ordinates	
	Longitude	**Latitude**
North(A)	E – 74°46'12.70"	N- 22°20'46.16"
East(B)	E – 74°47'36.70''	N- 22°20'36.66"
South(C)	E – 74°47'44.86"	N- 22°20'10.25"
West(D)	E – 74°46'00.05"	N- 22°20'33.53"

Geographical Coordinates of Eco-Sensitive Zone of the Dinosaur National Park

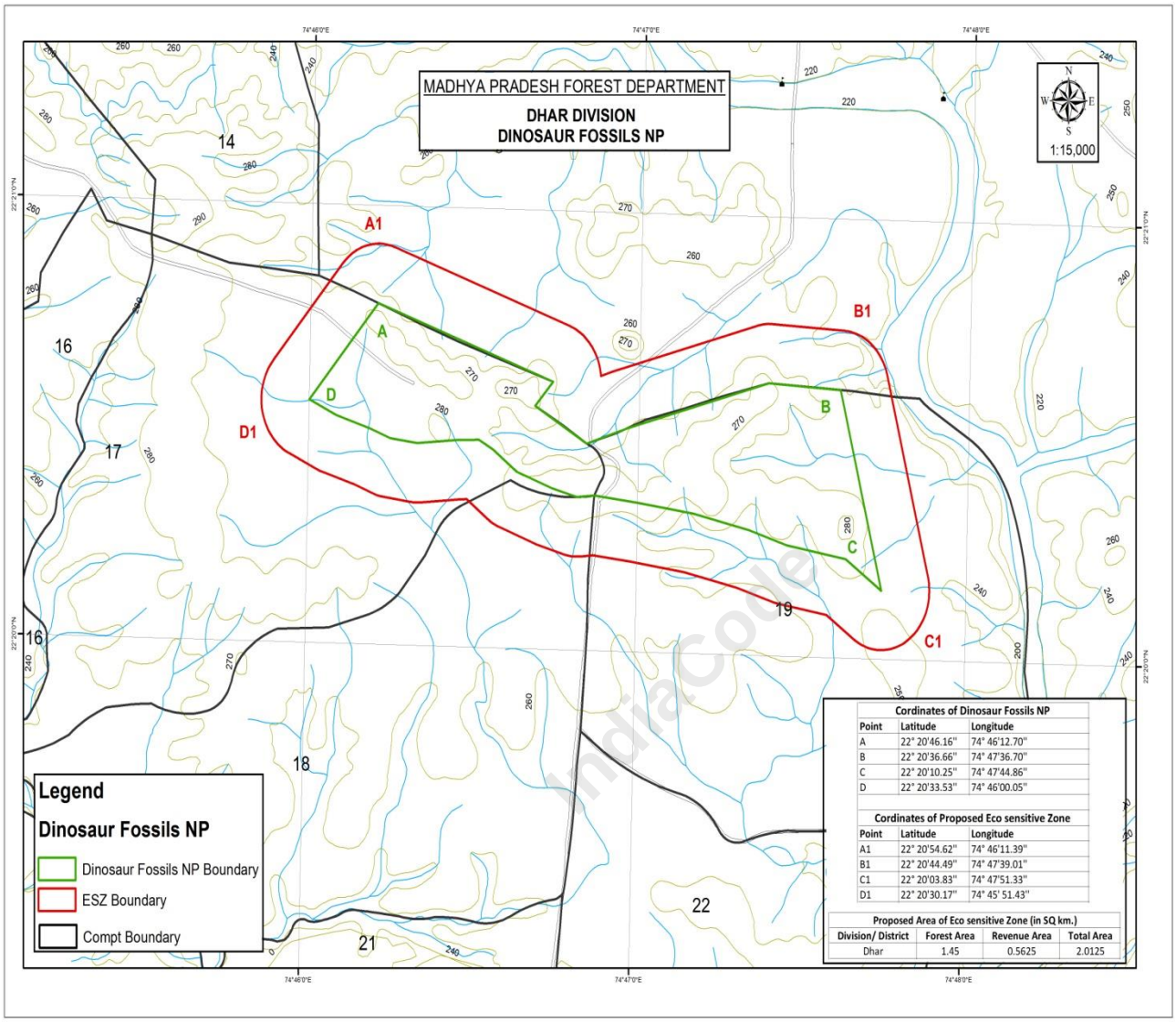
Direction	Co-ordinates	
	Longitude	**Latitude**
North(A1)	E - 74°46"11.39"	N- 22°20'54.62"
East(B1)	E - 74°47'39.01"	N- 22°20'44.49"
South(C1)	E - 74°47'51.33"	N- 22°20'03.83"
West(D1)	E - 74°45'51.43"	N- 22° 20'30.17"

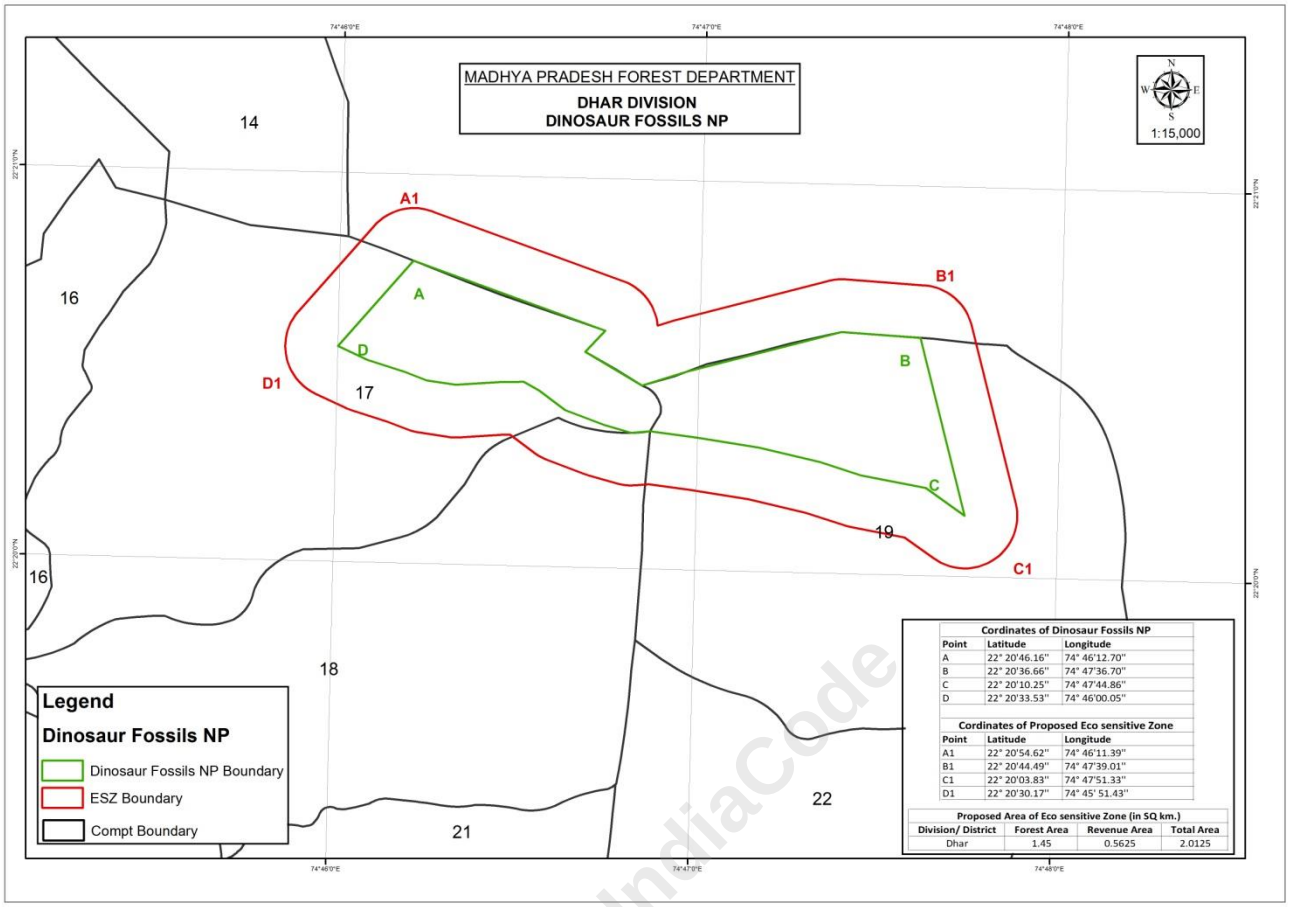
IndiaCode

Land use in the Eco-sensitive Zone of the Dinosaur National Park

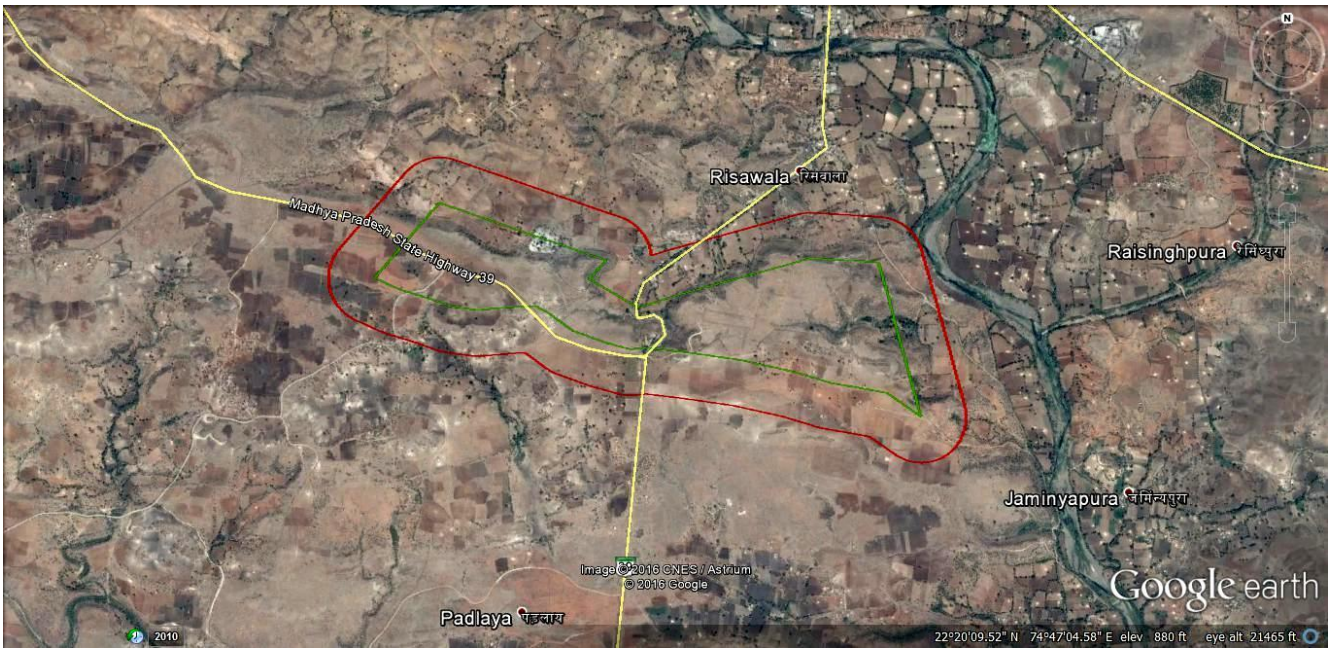
Width of Eco-sensitive Zone	250 Meter.
Area of the Eco-sensitive Zone	2.0125 Sq. Km
Area of the Eco-sensitive Zone include Reserve Forest	1.45 sq. km
Area of the Eco-sensitive Zone include Protected Forest	N.A.
Area of the Eco-sensitive Zone include Revenue	0.5625 Sq. Km
Inter State Boundary	Nil

Eco-sensitive Zone map:




MADHYA PRADESH FOREST DEPARTMENT
DHAR DIVISION
DINOSAUR FOSSILS NP
1:15,000
14
16
17
18
19
21
22
A
B
C
D
A1
B1
C1
D1
Legend
Dinosaur Fossils NP
Dinosaur Fossils NP Boundary
ESZ Boundary
Compt Boundary
Cordinates of Dinosaur Fossils NP
Point | Latitude | Longitude
A | 22° 20'46.16" | 74° 46'12.70"
B | 22° 20'36.66" | 74° 47'36.70"
C | 22° 20'10.25" | 74° 47'44.86"
D | 22° 20'33.53" | 74° 46'00.05"
Cordinates of Proposed Eco sensitive Zone
Point | Latitude | Longitude
A1 | 22° 20'54.62" | 74° 46'11.39"
B1 | 22° 20'44.49" | 74° 47'39.01"
C1 | 22° 20'03.83" | 74° 47'51.33"
D1 | 22° 20'30.17" | 74° 45' 51.43"
Proposed Area of Eco sensitive Zone (in SQ km.)
Division/ District | Forest Area | Revenue Area | Total Area
Dhar | 1.45 | 0.5625 | 2.0125

IndiaCode


Risawala रिसावला
Madhya Pradesh State Highway 39
Raisinghpura रैसिंघपुरा
Jaminyapura जामन्यापुरा
Padlaya पडलाय
Image © 2016 CNES / Astrium
© 2016 Google
Google earth
2010
22°20'09.52" N 74°47'04.58" E elev 880 ft eye alt 21465 ft

Annexure-II

List of villages with geographical coordinates within the Dinosaur National Park Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Name of division	Name of village	District	Longitude	Latitude
01.	Dhar	Gangakui (Jamniyapura)	Dhar	E - $74^0$47'23.91"	N- 22°20'20.93"
02.	Dhar	Bayadipura(Padlya)	Dhar	E - $74^0$46'26.39"	N- 22°20'23.22"
03.	Dhar	Risavala	Dhar	E - $74^0$46'57.47"	N- 22°20'36.16"
04.	Dhar	Cement Industry	Dhar	E - $74^0$46'32.17"	N- 22°20'39.20"

Annexure-III

Proforma of Action Taken Report: — Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-—

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
 Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.22 23:00:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.